राजस्थान सरकार
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 ( )आकाशि/नि.सं./280 दिनांक 26.8.2020

सचिव/ प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः– सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लंबित प्रकरणों के 05.10.2020 तक निस्तारण बाबत।
संदर्भः– विभागीय आदेश क्रमांक 274 दिनांक 13.08.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में जिन महाविद्यालयों को कमीपूर्ति मानदण्ड पूर्ण नही करने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया था, उन महाविद्यालयों को समय–समय पर कमीपूर्ति/शास्ति के अवसर दिये जा चुके है। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों के निस्तारण की अन्तिम **दिनांक 05.10.2020** निर्धारित करते हुए संस्था को **कमीपूर्ति अथवा नियमानुसार शास्ति राशि** जमा करवाने का एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जाता हैं।

सत्र 2017–18 से लम्बित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2017–18 से सत्र 2019–20 तक तीनो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि जमा करवानी होगी।

सत्र 2018–19 से लम्बित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2018–19 से सत्र 2019–20 तक दो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि जमा करवानी होगी।

महाविद्यालय कमीपूर्ति के समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर ही निदेशालय को प्रस्तुत करें। उक्त तिथि पश्चात आदेश की पालना नही करने वाले महाविद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2020–21 से क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जावेगा। प्रकरण का निस्तारण होने तक महाविद्यालय में नवीन प्रवेश बाधित रहेगें।

(संदेश नायक, IAS)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. रजिस्ट्रार, समस्त सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयो (संदेश नायक के अनुसार) द्वारा सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राथमिकता से प्रमाणित कर **हार्ड कॉपी संस्था के माध्यम से प्रेषित करावें।**
3. रक्षित पत्रावली।
4. वेब प्रभारी को अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)